



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-161

दिनांक 20-1-23


-: संशोधित अधिसूचना :-

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मारटर विकास योजना 2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है तथा जोनल विकास योजना 08 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा लागू किया गया है।

जोनल विकास योजना-08 में ग्राम गोनेर के खरारा नम्बर 3383 तथा पारा के ग्राम जगन्नाथपुरा एवं सालिनगरामपुरा के आरा पारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ग्रास फार्म की भूमि जो कि मारटर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना 08 में उक्त भूमि रोडल पार्क के भू-उपयोग में दर्शित है। मारटर विकास योजना 2025 में उक्त भू-भाग में केवल 30 मीटर व 60 मीटर राडक ही दर्शित है, परंतु जोनल विकास योजना में प्रस्तावित भूमि में अन्य निम्न श्रेणी की राडकों भी प्रस्तावित की गई हैं। जविप्रा भवना मानवित्त्र समिति (एलपी) की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 को लिये गये निर्णय अनुसार "ग्रास फार्म की भूमि के मध्य एवं मारटर विकास योजना में प्रस्तावित रोडल पार्क की भूमि के मध्य उदत राडकों का निर्माण होना उचित प्रतीत नहीं होता है। जोनल विकास योजना में ग्रास फार्म की भूमि पर मारटर विकास योजना में प्रस्तावित राडकों को कायम रखते हुये शेष जोनल विकास योजना की राडकों को विलोपित करते हुये ग्रास फार्म की भूमि के पूर्वी भाग में उक्त विलोपन के क्रम में 18 मीटर राडकों को ग्रास फार्म की सीमा पर/ सहारे सहारे 18.00 मीटर राडक प्रस्तावित करते हुये उक्त राडकों को गिलाये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त 18.00 मीटर राडकों एवं नवीन प्रस्तावित 18.00 मीटर राडकों के मध्य मारटर विकास योजना में रोडल पार्क दर्शित भूमि को आरा पारा के क्षेत्र अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग के अंतर्गत दर्शाया जावे। उक्त के अतिरिक्त खरारा संख्या 3383 जो कि संपूर्ण ग्रास फार्म के दक्षिण में स्थित है किन्तु दो ग्रास फार्म की भूमि के मध्य आ रही है, पर गुजर रही जोनल विकास योजना की राडक का अलाईमेंट को मारटर विकास योजना के अनुसार कायम किया जावे।"

बीपीसी एलपी की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 की पालना में जोनल विकास योजना प्लान 08 की उपरोक्त वर्णित राडकों के विलोपन/संशोधन हेतु दिनांक 22.07.2022 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे एवं निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। प्रकरण को पुनः बीपीसी एलपी की 324वीं बैठक दिनांक 15.09.2022 में रखा जाकर जोन 14 के क्षेत्राधिकार में जोनल विकास योजना प्लान 08 की उपरोक्त वर्णित राडकों के विलोपन/संशोधन का सैद्धान्तिक अनुमोदन करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से दिनांक 13.12.2022 को अनुमोदन प्राप्त होने पर, जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत नियमानुसार जोनल विकास योजना प्लान 08 में निर्धारित उपरोक्त वर्णित राडकों के विलोपन/संशोधन अधिसूचित किये जाते हैं।

उक्त अधिसूचना का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।


(उपपंचल सचिव)

सचिव,

जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।


राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, गान्धीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्ता, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्ता (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.) जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान/बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा. प्लान/एल.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्ता जोन-1 से 14 एवं पी.आर.एन. उत्तर-1, 11/दक्षिण-1, 11) जविप्रा, जयपुर।
10. उप निदेशक (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
11. सिरटम एनालिरट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
12. नोटिस बोर्ड।


उपायुक्ता जोन-14
जयपुर प्राधिकरण जयपुर
जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in